संलग्नक - 6

संख्या–5195/38–3–2001–500(15)/2001

प्रेषकः

अजित सेठ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 लखनऊ::दिनांकः: 24 नवम्बर, 2001

विषयः– विधायक निधि के मार्ग–दर्शी सिद्धान्त में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोंपरान्त विधायक निधि के मार्ग–दर्शी सिद्धान्त में निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार विधायक निधि के मार्ग–दर्शी सिद्धान्त निम्न संशोधनों के साथ पढे जाये।

(1) परिशिष्ट–1 में नया बिन्दु–26 निम्नवत् जोड़ा जाये :–
विधायक निधि के अन्तर्गत जहां भवन निर्माण /अन्य स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन गाइड लाइन में अनुमन्य है, उन भवनों /स्थाई परिसम्पत्तियों के बाउन्ड्री दीवाल का भी निर्माण कराया जा सकता है।

(2) नया प्रस्तर संख्या–3.10 निम्नवत् जोड़ा जाये :–

अ– "विधान परिषद के वे सदस्य जो विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने गये हैं, के पूर्ववर्ती सदस्यों द्वारा छोड़ी गई अव्ययित (अनस्पेन्ट) शेष धनराशि को उत्तरवर्ती सदस्यों में बराबर–बराबर वितरित कर दिया जाये।"

ब– "विधान परिषद के वे सदस्य जो मनोनीत है, के पूर्ववर्ती सदस्यों द्वारा छोड़ी गई अव्ययित (अनस्पेन्ट) शेष धनराशि को उत्तरवर्ती सदस्यों में बराबर–बराबर वितरित कर दिया जाये।"

(3) परिशिष्ट–1 के बिन्दु–3 में उल्लिखित "अति विशिष्ट उन कच्चे मार्गो का निर्माण करवाया जा सकता है, जिनकी स्थानीय लोगों द्वारा अनुभव की जा रही जरुरत पूरी करने के लिए सम्बद्ध माननीय सदस्य सहमत हो" को हटा दिया जाये तथा मार्ग–दर्शी सिद्धान्त के परिशिष्ट–2 में बिन्दु–10 के रुप में निम्नवत् जोड़ा जाये" :

"पूर्णतः कच्चे मार्ग का निर्माण"

(4) नया प्रस्तर 4.6 निम्नवत् जोड़ा जाये :–
"वे कार्यदायी संस्थायें जिनका पी0एल0ए0 एकाउन्ट नहीं है और जो विधायक निधि की धनराशि को राष्ट्रीकृत बैंकों के बचत खातों में रखते हैं, उससे अर्जित ब्याज को उन्हें संबंधित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में वापस करना होगा। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा इस धनराशि को सुसंगत राजस्व प्राप्ति लेखा–शीर्षक में जमा करा दिया जाये।"

C:\RDT SECRE-VN-22-11-01-DOC\MOHD.NASIM\26-11-2001

(5) परिशिष्टि–1 में बिन्दु–17 में नये उप बिन्दु के रुप में निम्नवत् जोड़ा जाये :–

"• रेडकास सोसायटी अथवा अन्य प्रतिष्ठित सेवा संस्थाओं में से किसी एक को निम्न प्रतिबन्धों के साथ रोगी वाहन (एम्बुलेंस) उपलब्ध कराया जा सकता है।"

(i) एक जनपद में केवल एक रोगी वाहन (एम्बुलेन्स) की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

(ii) सेवा संस्था कम से कम तीन वर्षों से जनपद में अस्तित्व में हों।

(iii) सेवा संस्था अच्छी तरह स्थापित एवं प्रतिष्ठित हों। प्रतिष्ठा के संबंध में निर्णय जिलाधिकारी द्वारा संस्था के सुसंगत कार्यों, जैसे समाजसेवा/कल्याणकारी कार्यों, उनकी सम्पूर्ण ख्याति, लाभरहित कार्यों, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं उनकी सृद्वढ़ वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाये।

(iv) उक्त संस्था को आयकर विभाग द्वारा 80–जी के अन्तर्गत आयकर में छूट अनुमन्य हो।

(v) इन सेवा संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाने वाली एम्बुलेंस का उपयोग केवल रोगियों के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा।

(vi) इस परिसम्पत्ति का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इसका विकय/हस्तांतरण /निस्तारण राज्य सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा।

(vii) वाहन संबंधित संस्था को इस शर्त पर दी जायेगी कि वाहन के अनुरक्षण एवं रख–रखाव पर परिचालन (चालक के वैतन सहित) आदि पर होने वाला समस्त आवर्तक व्यय संबंधित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा तथा इसका सामयिक सम्प्रेक्षण एवं निरीक्षण राज्य सरकार के अधीन होगा। वाहन प्राप्त करने से पूर्व संस्था यह प्रमाणित करेगी कि उक्त व्यय वहन करने की क्षमता रखती हैं।

(viii) संबंधित संस्था द्वारा नियमित रूप से राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट एवं इसकी परीक्षित लेखा उपलब्ध कराना होगा।

विधायक निधि की धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व संस्था को राज्य सरकार के साथ उपरोक्त शर्तो को मानने के लिए अग्रिम में एक औपचारिक अनुबन्ध अवश्य करना होगा।

उक्त रोगी वाहन कय हेतु एक से अधिक माननीय सदस्यों के प्रस्ताव अंशदान के रुप में स्वीकृत किये जा सकते है।

(6) परिशिष्ट–1 में नया बिन्दु–27 के रुप में निम्नवत् जोड़ा जाये :–

"पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट के कार्यो के लिए निम्न प्रतिबन्धों के साथ विधायक निधि की धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है।"

(i) लामार्थी संगठन जो समाज सेवा/कल्याण हेतु कार्यरत और कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में होंगे।

(ii) लामार्थी संगठन अच्छी तरह स्थापित एवं प्रतिष्ठित हों। उक्त संगठन के प्रतिष्ठा का निर्णय संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उनके सुसंगत कारकों जैसे समाज सेवा/कल्याणकारी कार्यो, उनकी सम्पूर्ण ख्याति, लाभ

रहित कार्यों, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं उनकी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जायेगा।

(iii) विधायक निधि की धनराशि का उपयोग स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर किया जायेगा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा।

(iv) उक्त परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का विकय/हस्तांतरण/निस्तारण राज्य सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(v) इन सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव लाभार्थी संगठन को अग्रिम में सुनिश्चित करना होगा, तथा इन सृजित परिसम्पत्तियों का सामयिक सम्प्रेक्षण एवं निरीक्षण राज्य सरकार के अधीन होगा।

(vi) लाभार्थी संगठन द्वारा नियमित रुप से राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट एवं उसकी (ऑडिटेड़ एकाउन्ट) परीक्षित लेखा उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) विधायक निधि की धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व लाभार्थी संगठन को राज्य सरकार के साथ उपरोक्त शर्तों को मानने के लिए अग्रिम में एक औपचारिक अनुबन्ध अवश्य करना होगा।

परिशिष्ट–2 के बिन्दु–2 को अब निम्नानुसार पढ़ा जाये :–
"वाणिज्यिक संगठनों, निजी संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थानों से संबंधित कार्य"

मार्ग–दर्शी सिद्धान्त तथा समय–समय पर जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(अजित सेठ)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 5195/38–3–2001–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यगण।
7– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10– मा0 मंत्री जी /मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
12– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
13– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(दीन दयाल)
संयुक्त सचिव।